

कार्यालय अधीक्षण यंत्री (पारेषण एवं संचार) म.प्र.पा.ट्रांस.कं.लिमि., उज्जैन

अचल संपत्ति विवरणिका वर्ष 2012-13

19  
19

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष :

- 1 अधिकारी/कर्मचारी : सुभाषचन्द्र गुप्ता  
का पूरा नाम
- 2 वर्तमान धारित पद : सहायक यंत्री (सिविल) उज्जैन
- 3 कार्यालय का नाम : अधीक्षण यंत्री (पारेषण एवं संचार), म.प्र.पा.ट्रांस.कं.लि. उज्जैन
- 4 वर्तमान वेतन : 85000.00
- 5 भविष्य निधि क्रमांक : 24421207
- 6 कर्मचारी संख्या : 87610051

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हों तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध हैं	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
उज्जैन (मालन वासा) देवास रोड़	रहवासी घर	9मी×5मी. भूखण्ड पर बना मकान	35.00 लाख	स्वयं के नाम पर	मण्डल से वर्ष 1999 में रु. 2.16 लाख का ऋण प्राप्त किया। भूखण्ड 30000/- में मधुवन गृह निर्माण संस्था से खरीदा दिनांक 27.03.1996 को	कुछ भी नहीं	भवन निर्माण का अनुमानित खर्च रु. 2.45 लाख वर्ष 1999 में पर ऋण से प्राप्त धनराशि व शेष राशि अन्य स्रोतों से प्राप्त की।
उज्जैन ग्राम लालपुर देवास रोड़	भूखण्ड	9मी×15मी. 135 स्क्वो. मी.	4.50 लाख	धर्मपत्नी वंदना गुप्ता के नाम पर	पूर्व में शाजापुर लालघाटी पर अनुमति प्राप्त स्थित 6मी×15मी भूखण्ड को बेचकर प्राप्त धनराशि से क्रय किया। क्रय दिनांक 16.12.2010 को रु. 2.05 लाख में किया था।	कुछ भी नहीं	पूर्व में धर्मपत्नी को उनकी पेटूक संपत्ति से मिली हिस्से की राशि में से शाजापुर में भूखण्ड क्रय किया था जिसे दि. 11.10.2010 को रु. 1.95 लाख में बेच दिया था।

हस्ताक्षर .....

नाम : सुभाषचन्द्र गुप्ता

पद : सहायक यंत्री (सिविल) उज्जैन

- 1) जहां लागू न हो काट दीजिए।
- 2) ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- 3) इसमें तत्कालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी :-

मण्डल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें।